RIGHT TO EDUCATION FORUM
(BIHAR CHAPTER)

Ref.: ..... Date: .....

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री,
बिहार सरकार, पटना।

विषय : कोविड –19 के संकटकाल एवं उत्तरकाल में बच्चों के जीवन, भोजन, शिक्षा आदि अधिकारों के संरक्षण हेतु प्रभावी पहल के लिए अनुरोध।

महोदय,

राइट टू एजुकेशन फोरम, बिहार की ओर से सादर अभिवादन!

बच्चों की शिक्षा के अधिकार के संरक्षण और सशक्तीकरण के लिए **राइट टू एजुकेशन फोरम (आरटीई फोरम)** शिक्षाविदों, शिक्षा प्रेमियों, बुद्धिजीवियों, समाजसेवियों एवं नागर समाज संगठनों का एक राष्ट्रीय मंच है और बिहार समेत देश के 20 राज्यों में कार्यरत है। यह मंच कार्यपालिका, विभिन्न संगठनों-समूहों और हितधारकों के साथ मिलकर बच्चों की शिक्षा के अधिकार, जो कि **शिक्षा का अधिकार कानून, 2009** के जरिये देश भर में 1 अप्रैल, 2010 से संविधान-प्रदत्त मौलिक अधिकार के रूप में लागू है, की सुनिश्चितता और सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर लगातार विमर्श और पहल करता रहा है। साथ ही, यह मंच **पूर्व -प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर यानी 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा के सार्वभौमीकरण (युनिवर्सलाइजेशन)** की मांग उठाता रहा है।

महाशय, देश के साथ ही हमारा बिहार भी महामारी के विशेष संकट के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ तो हजारों लोग इस वायरस से संक्रमित होते जा रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों के रोजी-रोजगार ख़त्म हो गए हैं। इसके साथ ही एक ही समय में लाखों प्रवासी मजदूरों के आगमन का दबाव बेरोजगारी की एक नई पटकथा तैयार कर रहा है। बिहार जैसे मुख्यत: कृषि, नौकरी और छोटे व्यवसायों पर निर्भर अर्थव्यवस्था वाले राज्य के लिए इस संकट से निबटना चुनौतीपूर्ण है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में ही संकट से लड़ने की विशेषता प्रकट होती है और इसके लिए सुनियोजित रणनीति बनाए जाने की जरूरत है. **आरटीई फोरम** इस विशेष परिस्थिति में राज्य और उसके नागरिकों के साथ खड़ा है.

इस पत्र के माध्यम से **आरटीई फोरम, बिहार** गणमान्य एवं प्रमुख नागरिकों के साथ मिलकर बच्चों के निम्न अधिकारों के संरक्षण की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता है -

1. राज्य के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों का सुचारु रूप से संचालन सुनिश्चित करते हुए **0-6 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य-पोषण, सुरक्षा एवं पूर्व प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के ठोस उपाय किए जाएँ। जमीनी तौर पर अमल सुनिश्चित करने हेतु एक सक्रिय निगरानी तंत्र की स्थापना की जाए।**

2. कई स्रोतों से प्राप्त सूचना के अनुसार विद्यालय एवं आँगनबाड़ी केंद्रों के सभी बच्चे-बच्चियों को पोषाहार की राशि का मिलना सुनिश्चित नहीं हो सका है। कई लोगों से प्राप्त सूचना के मुताबिक़ पोषाहार और पुस्तक के खाते में प्राप्त राशि को निर्गत करने से बैंक मना कर रहे हैं। बच्चों के भोजन के अधिकार से संबंधित इस गंभीर मसले पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।
3. बिहार में बड़ी संख्या में आये प्रवासी मजदूरों के साथ उनके बच्चों का भी आगमन हुआ है और अब उन बच्चों के अभिभावक यहीं रहने का मन बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में शीघ्र ही उन बच्चों को स्कूल के साथ जोड़कर उनके भोजन और शिक्षा के अधिकार की रक्षा किये जाने की जरुरत है। इस दिशा में त्वरित कार्रवाई करने के साथ ही **बच्चों की व्यापक मैपिंग, निगरानी और समस्या निवारण के लिए एक सक्रिय निकाय की तत्काल स्थापना की जानी चाहिए।**
4. कोरोना संकट के कारण ठप्प हुए स्कूलों और विशेषकर, कमजोर पृष्ठभूमि वाली, असंगठित क्षेत्रों मे कार्यरत व्यापक आबादी की आर्थिक असुरक्षा के चलते लॉक डाउन खुलने के बाद बड़ी संख्या में बच्चों के स्कूली शिक्षा के दायरे से बाहर होने की आशंका बलवती हो रही है। **इसलिए 14-18 वर्ष के बच्चों के नामांकन पर भी विशेष ध्यान देते हुए उनका नामांकन सुनिश्चित करने की जरूरत है ताकि उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्यों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।**
5. देखा गया है कि परिवार की आर्थिक विवशताओं का सबसे अधिक दुष्प्रभाव बालिकाओं पर ही पड़ता है। इसलिए बालिकाओं को बालश्रम और बाल विवाह से बचाने के लिए तथा विद्यालय में नामांकन तथा ठहराव सुनिश्चित करने के लिए विशेष निर्देश दिये जाने की आवश्यकता है।
6. बाल मजदूरी बिहार की पहले से भी समस्या रही है। अभिभावकों की बेरोजगारी के कारण इसके बेतहाशा बढ़ने की आशंका जतायी जा रही है। इस दिशा में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। विद्यालय में बच्चों के नामांकन और ठहराव को सुनिश्चित करके इस समस्या को कम किया जा सकता है।
7. लगातार घर में रह रहे बच्चों और विशेषकर, बच्चियों के साथ घरेलू या किसी अन्य प्रकार की हिंसा नहीं हो, इसे सुनिश्चित किये जाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए जाने की जरुरत है।
8. विद्यालय बंद होने की अवस्था में टीवी या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के द्वारा शिक्षा की व्यवस्था शुरू की गई है। ज्ञात हो कि गरीब मजदूरों के पचास से अधिक प्रतिशत घरों में टीवी या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में उन वंचित समूह के बच्चों तक शिक्षा की पहुँच बनाने के लिए तत्काल आवश्यक एवं व्यावहारिक उपाय किये जाने की जरुरत है।

9. पहले से ही विद्यालय शिक्षक और कक्षाओं की कमियों से जूझ रहे हैं। विद्यालय के मौजूदा संसाधन प्रवासी मजदूरों के कई लाख अतिरिक्त बच्चों के नामांकन के बोझ को उठाने लायक नहीं है। इसलिए समय रहते इसकी तैयारी कर ली जानी चाहिए। इस संदर्भ में हम विगत समय में बंद या विलय किए गए स्कूलों को खोलने के साथ-साथ शिक्षा अधिकार कानून, 2009 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप नए प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों को खोलने की मांग करते हैं।
10. कोरोना संकट के काल में कार्यरत शिक्षकों, आंगनबाड़ी एवं आशाकर्मियों को सुरक्षा किट प्रदान करने और उन्हें बीमित करने के साथ-साथ हम बच्चों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग करते हैं।
11. हम निजी विद्यालयों में शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य शुल्क न लिए जाने, शिक्षण शुल्क के लिए भी अभिभावकों पर दबाव न बनाने एवं शिक्षकों को वेतन देना सुनिश्चित किए जाने के लिए यथाशीघ्र स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाने की मांग करते हैं।
12. आपदा के समय दिव्यांग और विशेष आवश्यकता समूह के बच्चों के प्रति विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसलिए हम इस समूह के बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और पोषण के लिए विशेष व्यवस्था करने की माँग करते हैं। .

आशा है कि महाशय उपर्युक्त बिन्दुओं पर सहानुभूतिपूर्वक ध्यान देंगे।

बच्चों के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित किसी विमर्श या सहयोग के लिए **आरटीई फोरम** सदैव तत्पर है।

सादर :

(**डॉ. अनिल कुमार राय**),
प्रांतीय संयोजक
राइट टू एजुकेशन फोरम, बिहार

हस्ताक्षर एवं समर्थन :

1. केदारनाथ पांडेय, सदस्य, बिहार विधान परिषद; अध्यक्ष, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ
2. शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, पूर्व सांसद; महासचिव, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ
3. प्रो. पुष्पेंद्र कुमार सिंह, अध्यक्ष, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, पटना केंद्र
4. प्रो॰ डी॰ एम॰ दिवाकर, पूर्व निदेशक, ए एन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज,
5. अम्बरीष राय, राष्ट्रीय संयोजक, राइट टू एजुकेशन फोरम

6. डॉ॰ अनिल कुमार राय, प्रांतीय संयोजक, राइट टू एजुकेशन फोरम, बिहार
7. प्रो. तरुण कुमार, विभागाध्यक्ष, स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, पटना विश्वविद्यालय
8. प्रो. ललित कुमार, प्राचार्य, पटना ट्रेनिंग कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय
9. राजीव रंजन कुमार सिंह, प्रांतीय संयोजक, बिहार बाल आवाज मंच, बिहार
10. डॉ. विद्यार्थी विकास, सहायक प्राध्यापक, अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान, पटना
11. प्रो. रघुनंदन शर्मा, स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग, पटना विश्वविद्यालय
12. रामजीवन प्रसाद सिंह, महासचिव, इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स, बिहार
13. नवलेश कुमार सिंह, प्रांतीय संयोजक, कैम्पेन अगेन्स्ट चाइल्ड लेबर, बिहार
14. शंकर दयाल, सहायक प्राध्यापक, बीएड कौलेज, हुलासगंज
15. मोखतारुल हक, राज्य संयोजक, बचपन बचाओ आंदोलन, बिहार
16. रूपेश, राइट टू फूड कैम्पेन, बिहार
17. डॉ॰ अपराजिता शर्मा, काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट, नई दिल्ली
18. शशिभूषण दूबे, सचिव, शैक्षिक परिषद, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ, पटना
19. गजेंद्र शर्मा, सदस्य, राज्य कार्यसमिति, प्रगतिशील लेखक संघ, बिहार
20. विजय कुमार सिंह, प्रधान संपादक, प्राच्य प्रभा, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ
21. अनीश अंकुर, उप महासचिव, प्रगतिशील लेखक संघ, बिहार
22. सीटू तिवारी, पत्रकार, बिहार
23. चंद्रभूषण, मंत्री, लोक समिति, पटना
24. राकेश कुमार, राज्य सचिव, बिहार विकलांग अधिकार मंच
25. लक्ष्मीकांत, सहायक प्राध्यापक, आरपीएस ट्रेनिंग कौलेज, मुजफ्फरपुर
26. प्रत्यूष प्रकाश, प्रोग्राम कोओर्डिनेटर, ऑक्सफेम इंडिया, बिहार
27. जैनेन्द्र कुमार, प्रोग्राम मैनेजर, केयर इंडिया, बिहार
28. लोकेश रंजन, कैरिटास इंडिया, बिहार
29. नागेंद्र कुमार पासवान, सामाजिक कार्यकर्ता, सीतामढ़ी
30. दस्तगीर आजम, एक्शन ऐड, बिहार
31. गजाला शाहीन, सेव द चिल्ड्रेन, बिहार
32. पंकज श्वेताभ, एक्शन ऐड, बिहार

33. एंजेला तनेजा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, आरटीई फोरम
34. सीमा राजपूत, केयर इंडिया, दिल्ली
35. डॉ॰ शाहीन अंसारी, आर्किटेक्ट इंडिया, नई दिल्ली
36. संजीव कुमार सिन्हा, प्रांतीय संयोजक, स्कोर, उत्तर प्रदेश
37. मुजाहिद नफीस, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, आरटीई फोरम, गुजरात
38. कोम्मू रमनामूर्ति, राज्य संयोजक, आंध्र प्रदेश आरटीई फोरम
39. हिम्मत सिंह, निदेशक, फ़ोर्थ डायमेंसन, कलाकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता
40. अंकित व्यास, कार्यक्रम समन्वयक (इनिक्वॉलटी एंड एजुकेशन), ऑक्सफेम इंडिया
41. मित्र रंजन, प्रभारी, बिहार आरटीई फोरम
42. शशिभूषण पंडित, ऑल इंडिया कबाड़ी मजदूर महासंघ
43. यूमान हुसैन, आजाद इंडिया फ़ाउंडेशन, किशनगंज
44. मो. शाहजहां, आजाद इंडिया फ़ाउंडेशन, किशनगंज
45. बलराम दास, सचिव, उपेक्षित कल्याण समिति, नालंदा
46. मुसाफिर दास, प्रांतीय संयोजक, दलित संघर्ष मोर्चा, नालंदा
47. सूरज गुप्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, कटिहार
48. रवि प्रकाश सूरज, शोधार्थी, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा
49. दिनेश कुमार, सचिव, फुलवारी जागृति केंद्र, पटना
50. रमाकांत, शिक्षक
51. सुरेन्द्र कुमार, सचिव, जवाहर ज्योति बाल विकास केंद्र
52. राजीव गौतम, चेयरमैन, इंटरनेशनल फोरम फॉर सिविल सोसाइटी ओर्गेनाइजेशन
53. रामकृष्ण, निदेशक, औलिया आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, वैशाली
54. शशि बी प्रसाद, सचिव, कम्प्रिहेंसिव हैल्थ एंड रुरल डेवलपमेंट सोसाइटी, मोतिहारी
55. दयानंद सिंह, राज्य संयुक्त मंत्री, पेंशनर्स असोशिएशन, बिहार
56. गंगासागर दीनबंधु, सचिव, समता मानव विकास, कटिहार
57. डॉ. गौतम कुमार, प्राध्यापक, नरेंद्र देव महाविद्यालय, पटोरी
58. कुमार शुभमूर्ति
59. रवीन्द्रनाथ राय, महासचिव, इस्कफ, बिहार

60. जी शंकर, पूर्व प्राचार्य, डायट
61. सुजीत कुमार, सचिव, जन अधिकार फ़ाउंडेशन, रोहतास
62. प्रो. रामनाथ सिंह, प्राचार्य, बी. एम. डी. कॉलेज, दयालपुर
63. अजित कुमार, सीतामढ़ी
64. रमाकांत शर्मा, सचिव, ज्वाइंट एक्शन नेटवर्किंग, नालंदा
65. दीपक कुमार, सद्भावना मंच, नालंदा
66. शत्रुघ्न पंडित, सामाजिक कार्यकर्ता, बिहटा
67. मकेश्वर, समग्र सेवा, जमुई
68. उदय, प्रांतीय अध्यक्ष, राष्ट्र सेवा दल
69. विनोद कुमार रंजन, सचिव, बिहार राज्य गाँधी स्मारक निधि, पटना
70. दिग्विजय कुमार, आइडिया, मोतिहारी
71. अजीत कुमार, लोकमंच, पटना